

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून ।
तपोवन रोड निकट दूरदर्शन केन्द्र रायपुर रोड देहरादून।

फोन / फैक्स : 0135-2780290

पत्रांक 2683 / ग्रा0नि0वि0/निविदा सूचना-28/2015-2016 दिनांक 29 जनवरी 2016
 -: निविदा आमन्त्रण सूचना :-

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से आहूजा कम्पनी के अधिकृत साउण्ड सिस्टम विक्रेताओं से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निम्न कार्य की निविदा दिनांक 10.02.2016 के अपराह्न 2.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 2.30 बजे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इस कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 01.02.2016 से निविदा खोलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में सायं 4:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तें <http://www.uk.gov.in> पर दिनांक 01.02.2016 से उपलब्ध रहेंगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	जनपद	धरोहर धनराशि (रु०)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ TT (रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधिकृत फर्म / ठेकेदार	निविदा की वैधता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास भवन, रुद्रप्रयाग के सभा कक्ष में साउण्ड सिस्टम का कार्य।	रुद्रप्रयाग	8500.00	225 + 13.5% TT	01 माह	आहूजा कम्पनी के अधिकृत विक्रेता	45 दिन

-निविदा की शर्तें-

1. बिना धरोहर धनराशि की निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा उक्त धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में हो तथा मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम बन्धक हो, संलग्न होनी चाहिए।
2. निविदा दरो की वैधता हेतु 100 रु० का नॉन जुडिशियल स्टान्ड पेपर पर 1.00 रु० का रेगन्यू टिकट पर हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए।
3. निविदा हेतु मैनुवल 69-70/ जी0पी0डब्ल्यू0-9/ विभाग द्वारा गठित एन0ओ0यू0 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
4. निर्माण कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी 10.02.2016 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
5. निविदा की दरें आईटम वार ही मान्य होगी, जो समस्त करों सहित होंगी।
6. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
7. किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
8. समस्त सामग्री की आपूर्ति सुरक्षित रूप में विकासभवन, रुद्रप्रयाग में करनी होगी।
9. समय-समय पर शासनादेशों के अनुसार आयकर/व्यापार कर/सायल्टी एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।
10. निविदादाता को आहूजा कम्पनी का अधिकृत साउण्ड सिस्टम विक्रेता होने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा में मदवार कार्य की अंकित मात्रा परिस्थिति के अनुसार घटाई-बढ़ायी जा सकती है।
12. विवाद की स्थिति में विवादक्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग होगा।


 मुख्य अभियन्ता स्तर-1
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 उत्तराखण्ड, देहरादून